

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003282016

दांडिक प्रकरण क.-507 / 16

संस्थापित दिनांक-23.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
01-अनेकसिंह पुत्र मुन्नी कुशवाह उम्र 43 साल निवासी प्राणपुर। 02-श्रीमती ममताबाई पत्नी अनेक सिंह कुशवाह उम्र 40 साल निवासी प्राणपुर। .....आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324, 341, 336, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 341, 294, 323—दो बार, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324—दो बार एवं 336 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी आनंद ने दिनांक 16.09.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह जनाजन की बाबडी की छत पर बैठा था। उस दिन गांव में भंडारा था। उसके पिता रामसिंह काम करके अपने घर आ रहे थे। उसका घर जनाजन बाबडी के पास में ही है तभी उसके चाचा अनेक सिंह आए और उसे मां—बहन की बुरी—बुरी गाली देने लगे और बोले कि तेरे पिता को देखता हूं कैसे बंटवारा करता है। उसके पिता राम सिंह को अनेक सिंह ने पीठ में फावड़े से मारा जिससे उन्हें चोट आई, जब उसने बचाया तो उसे भी फावड़े से मारा जिससे उसे भी चोट आई। चाची ममताबाई ने पत्थर फेंककर मारा जिससे मुंदी चोट आई। और जब वह अपने पिता के साथ रिपोर्ट करने आने लगा तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिया और रिपोर्ट करने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 448/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 324, 294, 323, 506, 34, 336 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323—दो बार, 324—दो बार, 336 एवं 506 भाग दो, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 16.09.16 को समय 21.00 बजे जनाजन की बाबडी के पास, रास्ता प्राणपुर चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी आनंद एवं रामसिंह को फावड़े से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उतावलेपन में ऐसा कार्य किया जिससे कि मानव जीवन के लिए संकटापन्न हुआ ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 आनंद, अ.सा. 02 रामसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 आनंद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फावड़े से मारपीट की थी। अ.सा. 02 ने भी अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फावड़े से मारपीट की थी। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उतावलेपन में कोई कार्य किया। उपरोक्त साक्षीगण ने यह भी नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने

फरियादी एवं आहत के साथ फावड़े से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उतावलेपन में कोई कार्य किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ फावड़े से मारपीट की गई थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324—दो बार एवं 336 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा फावड़ा मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)